MT-22

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : विस्फी

निरीक्षण की तिथि : 28–06–2003

डा० बी० राजेन्दर
भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, मधुबनी

Scanned with OKEN Scanner

डा० श्री रविन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 28-6-2003 को बिस्फी थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अर्धवार्षिक निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

बिस्फी थाना की स्थापना सहायक आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना के आदेश 10714/सी0, दिनांक 12-10-1971 के आधार पर बेनीपट्टी थाना से पृथक कर की गई है । यह थाना जिला मुख्यालय से 26 कि0मी0 की दूरी पर मधुबनी-रहिका-औंसी-बिस्फी पथ पर अवस्थित है । यह थाना बेनीपट्टी आरक्षी अनुमण्डल अन्तर्गत आता है । इस थाना का सीमावर्ती थाना बेहटी, सिंघवाड़ा एवं कमतौल है । इस थाना का क्षेत्रफल 70 वर्ग मील एवं जनसंख्या 261118 है । इस थानान्तर्गत दो सहायक थाना (1) पतौना ओ0पी0 एवं (2) औंसी ओ0पी0 है । गमता एवं बेंगरा में पुलिस पिकेट स्थापित है, जो चौकीदार, आरक्षी एवं पदाधिकारी के माध्यम से संचालित होता है ।

बिस्फी थाना क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है । इस थाना क्षेत्र के कमहा घाट से कांवर में जल भरकर प्रतिवर्ष श्रावण मास में सोमवारी के दिन लाखों श्रद्धालुओं द्वारा भैरवा एवं नरसाम स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है ।

लगभग एक माह पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी एवं आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहे, जो अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है । उनकी अनुपस्थिति के कारण उनसे संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा नहीं की जा सकी । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से दोनों पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्तकर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना चाहेंगे । साथ ही उन्हें यह भी निर्देश देना चाहेंगे कि भविष्य में अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के समय वे लोग निश्चित रूप से उपस्थित रहें । निरीक्षण के समय अंचल अधिकारी, बिस्फी उपस्थित थे ।

2- भवन :-

बिस्फी थाना का अपना भवन नहीं है । यह किराये के भवन में संचालित होता है । कुछ समय पूर्व यह भवन भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण ध्वस्त हो गया था, जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से पुनर्निर्माण का कार्य सम्पादित

लगातार...2/-

किया जा रहा है । अंचल अधिकारी, बिरौल द्वारा बताया गया कि थाना भवन के निर्माण हेतु जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेज दिया गया है । जिला कार्यालय से भी समुचित प्रस्ताव आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के माध्यम से सरकार को प्रेषित किया जा चुका है । सम्प्रति थाना भवन में थाना प्रभारी का कक्ष, आरक्षी सदन, महिला/पुरुष हाजत, पुलिस बैरक, मालखाना उपलब्ध है ।

3- प्रभार :-

पु० नि० राम पुकार सिंह दिनांक 02-06-2003 से थाना प्रभारी के प्रभार में हैं । इनके पूर्व पु० नि० चन्द्रमा सिंह थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे । इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों की पदस्थापन सूची वर्ष 1993 से बनाई गई है जबकि यह थाना वर्ष 1971 से कार्यरत है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेखों को जाँचकर प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की पदस्थापन सूची एक सप्ताह के अन्दर संधारित कर उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । वर्ष 1993 से पदस्थापित थाना प्रभारियों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	पदनाम	नाम	कब से पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1-	पु० नि०	अनिल कुमार सिंह	21-04-1993	12-10-1993
2-	पु० नि०	नित्या नन्द झा	13-10-1993	25-04-1995
3-	पु० नि०	सत्य नारायण सिंह	26-14-1995	02-05-1998
4-	पु० नि०	रामेश्वर सिंह	03-05-1998	31-03-2000
5-	पु० नि०	गोपालजी प्रसाद	01-04-2000	30-06-2001
6-	पु० नि०	चन्द्रमा सिंह	01-07-2001	14-05-2003
7-	पु० नि०	राम पुकार सिंह	02-06-2003	अद्यतन

4- स्थापना :-

इस थाना में स्वीकृत बल की विवरणी निम्न प्रकार है :-

लगातार...3/-

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरेक
1-	अ० नि०	2	2	-	-
2-	स० अ० नि०	2	4	-	2
3-	हवलदार	2	-	2	-
4-	आरक्षी	7	4	3	-

स्वीकृत बल के विरुद्ध पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1-	अ० नि०	राम कुमार सिंह	02-06-2003	ग्राम-पो० अमनौर, जिला पटना
2-	अ० नि०	दामोदर सिंह	16-06-2003	ग्राम रसूलपुर डीह, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर
3-	स०अ०नि०	विजय कुमार मिश्र	25-07-2002	ग्राम मोहनपुर थाना आरा, जिला भोजपुर
4-	स०अ० नि०	मो० हसैन	02-10-2002	ग्राम छोटपुर, थाना सीवान, जिला सीवान
5-	स०अ०नि०	गुलाम मुस्तफा हसन खाँ	15-06-2003	ग्राम बहलपुर, थाना बिहारशरीफ, जिला नालंदा
6-	स०अ०नि०	राजदीप चौधरी	19-06-2003	ग्राम माधवाट, थाना आन्दर, जिला सीवान
7-	आरक्षी	राम भरोस सिंह	18-07-2002	ग्राम देवापुर, थाना बरौली, जिला गोपालगंज
8-	आरक्षी	विपेन्द्र कुमार राय	05-04-2002	ग्राम हेमराजपुर, थाना एकमा, जिला सारण
9-	आरक्षी	हरि किशुन राम	01-08-1999	ग्राम सिलमपुरा, थाना शिव सागर, जिला रोहतास
10-	आरक्षी	रामचन्द्र प्रसाद	10-09-2000	ग्राम अलीनगर, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि हवलदार के 2 एवं आरक्षी के 3 पद रिक्त हैं। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी समीक्षोपरान्त रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई करना चाहिये।

5- पूर्व निरीक्षण :-

इस थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि

Scanned with OKEN Scanner

1-	श्री आर० बी० सिंह	जिला पदा०, मधुबनी	26-12-1980
2-	श्री के० पी० रमियार	जिला पदा०, मधुबनी	26-09-1996
3-	श्री तारकेश्वर प्रसाद	अ०अ०प०अ०का०नि०, दरभंगा	28-05-1982
4-	श्री हरि० मल्होत्रा	अ०अ०प०अ०का०नि०, दरभंगा	29-03-1992
5-	श्री आर० आर० प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	28-05-1973
6-	श्री आर० आर० प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	11-12-1975
7-	श्री आर० आर० प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	17-12-1976
8-	श्री एस० पी० महतो	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	24-01-1978
9-	श्री एस० पी० महतो	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	16-02-1979
10-	श्री नसीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	07-11-1979
11-	श्री रंजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	24-11-1981
12-	श्री रंजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	23-02-1983
13-	श्री अरुण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	29-10-1984
14-	श्री एस० सी० दोटियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	28-02-1986
15-	श्री आर० आर० वर्मा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	26-05-1990
16-	श्री पी०आर०के० नायडू	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	10-02-1992
17-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	23-07-1994
18-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	02-08-1996
19-	श्री शहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	22-11-1997
20-	श्रीमती प्रीता वर्मा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	29-07-1999
21-	श्री बी० के० सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	08-10-2001
22-	श्री गणेश प्रसाद वर्मा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	30-04-2003
23-	श्री विमल किशोर सिन्हा	अनु० आ० पदा०, बेनीपट्टी	24-10-1979
24-	श्री एस० एस० शुक्ला	अनु० आ० पदा०, बेनीपट्टी	25-03-1981
25-	श्री एस० एस० शुक्ला	अनु० आ० पदा०, बेनीपट्टी	06-03-1981
26-	श्री बी० के० मिश्रा	अनु० आ० पदा०, बेनीपट्टी	17-12-1982
27-	श्री बी० के० मिश्रा	अनु० आ० पदा०, बेनीपट्टी	24-09-1983
28-	श्री भवेश ठाकुर	अनु० आ० पदा०, बेनीपट्टी	30-11-1985

लगातार...5/-

29-	श्री भवेश ठाकुर	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	25-12-1987
30-	श्री एम० आई० बेग	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	26-12-1991
31-	श्री एम० आई० बेग	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	29-09-1993
32-	श्री एन० बी० चौधरी	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	15-09-1994
33-	श्री महेश्वर महतो	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	27-07-1997
34-	श्री महेश्वर महतो	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	16-04-1999
35-	श्री एल०बी०सिंह	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	20-01-2001
36-	श्री एन० बी०सिंह	अनु०आ०पदा०, बेनीपट्टी	02-03-2003
37-	श्री एन० प्रसाद	आ० नि०, बेनीपट्टी	28-04-1975
38-	श्री एस० एन० प्रसाद	आ० नि०, बेनीपट्टी	17-11-1975
39-	श्री एस० एन० प्रसाद	आ० नि०, बेनीपट्टी	29-09-1976
40-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०, बेनीपट्टी	08-04-1979
41-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०, बेनीपट्टी	27-03-1980
42-	श्री आर० सिन्हा	आ० नि०, बेनीपट्टी	11-11-1980
43-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०, बेनीपट्टी	31-12-1980
44-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०, बेनीपट्टी	25-09-1981
45-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०, बेनीपट्टी	31-12-1981
46-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०, बेनीपट्टी	28-08-1982
47-	श्री के० एन० सिंह	आ० नि०, बेनीपट्टी	16-01-1986
48-	श्री पी० तिवारी	आ० नि०, बेनीपट्टी	30-03-1987
49-	श्री एस० एन० पासवान	आ० नि०, बेनीपट्टी	01-03-2000
50-	श्री एल० एन० माँझी	आ० नि०, बेनीपट्टी	13-09-2000
51-	श्री एल० एन० माँझी	आ० नि०, बेनीपट्टी	21-02-2003

उपर्युक्त सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया। अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में कुछ मामलों में बिलम्ब किया गया है। अनुपालन की भी गुणवत्ता सही नहीं है। अधिकांश

लगातार...6/-

Scanned with OKEN Scanner

मामलों में अनुसंधान किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है दिखाया गया है, जो उचित नहीं है । थानाध्यक्ष: निरीक्षण टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण अनुसंधान प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना चाहिए । यदि उक्त अवधि में अनुसंधान/पूर्ण प्रतिवेदन भेजना संभव नहीं हो तो, कम-से-कम अंतरिम अनुसंधान प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अनुसंधान प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है तो वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । थाना को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे एवं सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अनुपालन पूरे हुए कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजते हुए तत्संबंधी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0 15 में थाना दैनिकी संधारित है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण घटनाओं को अंकित किया जा रहा है । थाना दैनिकी के कुल सं0 9307 के प्रविष्टि 093601 से 093700 तक का अवलोकन किया । फिरकी थाना कांड सं0 82/03, दिनांक 26-6-2003 में, जो अंकित प्रविष्टि है, दिखाया गया है कि यह कांड वादी उत्तीम लाल चौपाल के लिखित आवेदन के आधार पर अंकित किया गया है । दिनांक 26-6-2003 के एक बजे रात्रि में प्राथमिकी अभियुक्त संदेहात्मक अवस्था में सड़क किनारे टार्च जला रहे थे । उसी वक्त वादी पेशाब करने के लिए निकले तथा अभियुक्त (गोड़ी शंकर चौधरी पे0 बुधो चौधरी, सा0 भोज पंडौल, थाना फिरकी, जिला मधुबनी) को कहे कि इस समय यहाँ आकर क्यों टार्च जला रहे हैं । इसी बात पर अभियुक्त वादी के पास गये तथा उसके पेट पर छुड़ी चला दिया जिससे वादी के पेट पर हल्का जख्म पहुँचा । वादी पकड़ना चाहे परन्तु अभियुक्त फरार हो गया । कांड अनुसंधानान्तर्गत है । थाना दैनिकी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत फार्म सं0 16 में फिरारी पंजी संधारित है । इस पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भाग-I में थाना क्षेत्र के कुल 3 फिरारी का नाम दर्ज है जबकि भाग-II में बाहर के फिरारी का नाम दर्ज किया जाता है, जिसकी संख्या शून्य है । पंजी सही ढंग से संधारित है । अंतिम स0 टॉल ज्ञापांक 323, दिनांक 3-10-2002 द्वारा

पिंटू सहनी पु० जितेन्द्र सहनी, ग्रा० मच्छरहट्टा, थाना सिकटी के नाम से जारी हुआ है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि शीघ्र रूप से अपराधकर्मी का फरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी एक माह के अन्दर सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । साथ ही कुर्की के माध्यम से फरार व्यक्तियों के सम्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें ।

8- रिटर्न ऑफ अनएक्जीक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म सं० 50 में पंजी संधारित करना है किन्तु इस थाना में इसे सादे पंजी में संधारित किया गया है । इस पंजी के अनुसार पूर्व माह तक प्राप्त एवं निष्पादित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

पूर्व माह से लंबित		वर्तमान माह में प्राप्त		वर्तमान माह में निष्पादित		वर्तमान माह में शे०	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
50	36	-	-	5	1	45	35

पदाधिकारीवार लंबित वारंट एवं कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	लंबित वारंट	लंबित कुर्की
1-	अ० नि० डी० के० सिंह	-	6
2-	अ० नि० मकबूल हसन	10	12
3-	अ० नि० आर० डी० मिश्रा	-	5
4-	स० अ० नि० विजय शंकर मिश्रा	11	4
5-	स० अ० नि० मो० हसनैन	12	9
6-	आरक्षी 202 विजेन्द्र कुमार राय	4	-
7-	आरक्षी 448 हरि किशुन राम	8	-
8-	आरक्षी 498 रामचन्द्र प्रसाद	5	-

लगातार...8/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 45 वारंट एवं 15 कुर्की निष्पादित करने हेतु लंबित है । इनमें से सबसे अधिक अ0 नि0 मकबूल हसन के पास कुल 22 एवं श्री0 [illegible], स0अ0नि0 के पास 21 वारंट/कुर्की लंबित पड़े हुए हैं, जो चिन्तनीय है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट एवं कुर्की का निष्पादन एक माह के अंदर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

9- गिरफ्तार व्यक्तियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0 31ए. में पंजी संधारित है । इस पंजी के अनुसार जनवरी, 03 में 01, फरवरी में 02, मार्च में 01, अप्रैल में 01 एवं मई माह में 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन छापामारी कर अधिक-से-अधिक संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें ताकि इनका मनोबल गिरे एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी हो ।

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म सं0 25 में यह पंजी संधारित है । यह पंजी दिनांक 21-4-2003 को सत्यापित कराई गई है । बिहार शस्त्र अधिनियम 49 के तहत वर्ष में एकबार इस पंजी का मिलान कराना आवश्यक है, जो किया जा रहा है । इस थाना में कुल अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या 36 है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

(क) डी0 बी0 बी0 एल0	-	33
(ख) एस0 बी0 बी0 एल0	-	02
(ग) रायफल	-	xx
(घ) रिवाल्वर	-	01
कुल :-		36

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 239 ए. कौलम-11 फार्म संख्या 43 ए. में यह पंजी संधारित है । इस पंजी के सभी कॉलमों को भरा नहीं जा रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसे सही ढंग से संधारित करावें एवं

m

Scanned with OKEN Scanner

सभी कॉलमों को भरवायें । यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है तथा बन्दी के साथ कोई घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में यह माना जायगा कि थाना प्रभारी के द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है । यह पंजी तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में प्रतिवेदन की माँग की जाती है ।

12- तख्ती नं0- 1 :-

सरकारी सम्पत्ति की सूची से संबंधित तख्ती नं0-1 का अवलोकन किया । थाना में उपलब्ध सामग्रियों की प्रविष्टि की गई है एवं आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से दिनांक 10-2-2003 को मिलान करवाया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना परिसर में रखे अन्य सरकारी एवं लावारिस सम्पत्ति को भी इस पंजी में दर्ज करें ताकि इसे छुपने या इसकी क्षति पहुँचाने से रोका जा सके ।

13- तख्ती नं0- 2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है । तख्ती अद्यतन है ।

14- तख्ती नं0- 3 :-

विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त कारखाने, भंडार, दुकानों की सूची इस तख्ती में रहती है । इस थाना में प्रतिवेदन शून्य है ।

15- तख्ती नं0- 4 :-

इस तख्ती में गोला, बारूद, आयुध के संबंध में सूचना रहती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

16- तख्ती नं0- 5 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानों की सूची रहती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

लगातार...10/-

Scanned with OKEN Scanner

17- तख्ती नं0- 6 :-

इस तख्ती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं अफीम के दुकानों की सूची रहती है । इस थानान्तर्गत कुल 04 लाईसेंसी दुकान है जिसमें 2 देशी एवं 2 कुदरा देशी दुकान है ।

18- तख्ती नं0- 7 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है । कुल 22 कांड लंबित हैं ।

19- तख्ती नं0- 8 :-

इस तख्ती में जुआ गैमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना रहती है । इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

20- तख्ती नं0- 9 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, मेला से संबंधित सूचना अंकित की जाती है । सूची संधारित है ।

21- तख्ती नं0- 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के सांसद/विधायक/पार्षद/जिला परिषद के सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्यों की सूची संधारित की जाती है । सूची अद्यतन है ।

22- तख्ती नं0- 11 :-

यह तख्ती नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है ।

23- तख्ती नं0- 12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार कुल दागी व्यक्तियों की

लगातार...11/-

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 12 है । विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	श्रेणी	दागी संख्या	नाम / पिता का नाम	ग्राम एवं सर्किल नं0
1-	मासिक	ए/138	शीतल महतो पे0 महेन्द्र महतो	सदुल्लापुर पोखरौनी
2-	"	ए/136	बाबा करोडी पे0 निर्मल करोडी	सदुल्लापुर पोखरौनी
3-	"	ए/137	सलीम नदाफ पे0 सुर-सुर नदाफ	सदुल्लापुर पोखरौनी
4-	"	ए/139	सत्येन्द्र ठाकुर पे0 राजेश्वर ठाकुर	रघौली
5-	त्रैमासिक	ए/073	अलाउद्दीन पे0 अब्दुल अजीज	उसौधु
6-	"	ए/135	गयासुद्दीन लोहार पे0 ननकार लोहार	सिंघासो
7-	वार्षिक	ए/090	रामजानी पे0 शेख गफोर	उसौधु
8-	"	ए/130	रामदेव यादव पे0 नथुनी यादव	मौज पण्डौल
9-	"	ए/131	नागे यादव पे0 मिश्रीलालयादव	मौज पण्डौल
10-	"	बी/46	रतीलाल मंडल पे0 वासुदेव मंडल	खैरी बाँका
11-	"	बी/59	ततवा लोहार पे0 बुधा लोहार	मढ़वा
12-	"	बी/57	अभय नारायण ठाकुर पे0 साजी ठाकुर	मौज पण्डौल

24- तख्ती नं0 13 :-

इस तख्ती में अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती का अवलोकन किया सूची संधारित है परन्तु अद्यतन नहीं है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर अद्यतनकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

25- तख्ती नं0- 14 :-

इस तख्ती में उच्चाधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणी लिखी जाती है । विवरणी अद्यतन है ।

26- तख्ती नं0- 15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है, परन्तु तख्ती में मानचित्र नहीं रखकर इसे टाँगा गया है ।

लगातार...12/-

Scanned with OKEN Scanner

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि मानचित्र की एक प्रति तख्ती में भी संधारित कर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन दें

27- तख्ती सं0- 16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना जिसके अनुसार थाना का सृजन हुआ है, की प्रति रखी जाती है । इस थाना में सरकारी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर सरकारी अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर तख्ती में संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्तियों का संधारण सही ढंग से किया गया है परन्तु कुछ सूचनाओं को अद्यतन करना आवश्यक है । थाना प्रभारी सभी सूचनाओं को अद्यतन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 75 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर निजी डायरी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें 64 कॉलम है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संशोधित प्रपत्र जिसमें 68 कॉलम है जिला मुख्यालय से प्राप्तकर अद्यतन करते हुए एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें । यह रजिस्टर अप्रील, 2003 में आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा गया है ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-II :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । मासिकरूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि लिखा गया है । अर्थात इस पंजी में ए0-टू-जेड इन्फॉर्मेशन रहता है ।

Scanned with OKEN Scanner

31- सी० डी० पार्ट- I :-

इसमें दागी व्यक्तियों |हिस्ट्रीशीटरों| की सूची रखी जाती है । इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 12 है ।

32- सी० डी० पार्ट- II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी अपराधी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होता है तो उसे इस पंजी में दर्ज किया जाता है । इस पंजी में दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काली स्याही से अंकित किया जाता है । इसमें अंतिम प्रविष्टि क्रम संख्या 788 पर रहिका थाना कांड संख्या 367/2006 धारा 379/411 भा०द०वि० अंकित किया गया है ।

33- सी० डी० पार्ट- III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अतिमहत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार थाना प्रभारी द्वारा स्वयं दर्ज की जाती है । पंजी समाप्त हो चुकी है । अलग से पेज लगाया गया है, जो उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

34- अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी०डी०पार्ट-II से जानकारी ली जाती है । वस्तुतः अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजीमेंउन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामलें में संलिप्त रहते हैं । यह पंजी सी०डी० पार्ट-II में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई गई है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । इसे अच्छी ढंग से संधारित किया जा रहा है ।

लगातार...14/-

35- एम0 ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 74 ए. में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली अंकित किया जाता है । सही ढंग से संधारित है ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है:

वर्ष	पानी में डूबने से	साँप काटने से	जलने से	पेड़ से गिरने से	जहर खाने से	विविध कारण से	योग
1998	9	1	4	-	2	10	26
1999	2	-	3	-	1	3	9
2000	2	-	-	-	1	2	5
2001	-	-	1	-	2	-	3
2002	2	-	2	-	1	-	5
2003	-	-	-	-	-	2	2

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	यू0डी0केस नं0	जाँचकर्त्ता का नाम एवं पदनाम	लंबित का कारण
1-	03/2000	स0 अ0 नि0 विजय शंकर मिश्र	पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण
2-	04/2000	स0 अ0 नि0 महेश प्रसाद	-
3-	01/2001	अ0 नि0 मकबूल हसन	बिसरा जाँच हेतु
4-	02/2002	स0 अ0 नि0 विजय शंकर मिश्र	समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु
5-	07/2002	स0 अ0 नि0 मो0 हसनैन	-
6-	01/2003	स0 अ0 नि0 मो0 हसनैन	-

लगातार...15/-

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रमांक 6 को छोड़कर सभी 05 कांड कागजी क्रिया से लंबित चला आ रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर सभी लंबित कांडों का निष्पादन एक माह के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों की पंजी संधारित है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष इस अधिनियम के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक गुरुवार को जनता दरबार में आकर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है । विदित हो कि यह थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य है । भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अत्याचार की घटना के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होती रहती हैं । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित गति से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें । यदि एक-दो मामलों में कार्रवाई होती है तो इस अधिनियम के संबंध में आम लोगों को जानकारी मिल जायेगी एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा । इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म सं0 67 में यह पंजी संधारित है । इस थाना में यह पंजी संधारित है किन्तु कोई भी आर्म्स जमा नहीं है ।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म सं0 6 ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता है । नियम 59 (क) में स्पष्ट किया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा जो

लगातार...16/-

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी अधिकारी को प्रेषित करेगा, जो उन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे। किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी द्वारा नहीं किया जा रहा है । आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ।

40- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में अच्छी ढंग से चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित की जाती है जिसमें सभी चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ठ आवंटित है एवं उपस्थिति रोमण अंक में दर्ज की जाती है । अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जाता है

चौकीदारों/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है ।

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1-	दफादार	05	04	01
2-	चौकीदार	39	35	04

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	महाल/बीट सं0	पदनाम	नाम/ पिता का नाम	महाल/गाँव का नाम
1-	1	दफादार	उपेन्द्र कुमार यादव पे0 स्व0 रंगलाल यादव	1
2-	2	दफादार	श्यामचन्द्र मिश्र पे0 श्री रामाकान्त मिश्र	2
3-	4	दफादार	महेन्द्र मंडल पे0 स्व0 अकल मंडल	4
4-	6	दफादार	विन्देश्वर पासवान पे0 स्व0 सुबाई पासवान	6
5-	1/2	चौकीदार	जगदीश पासवान पे0 स्व0 रामफल पासवान	नवटोली
6-	1/3	चौकीदार	राम जतन पासवान पे0 स्व0 राम औतार पास0	कोकरवा, बतवरिया, कोरियान
7-	1/4	चौकीदार	राम सेवक यादव पे0 स्व0 मधु यादव	धजवा, सतधारा

लगातार...17/-

8-	1/5	चौकीदार	महेश प्रसाद यादव पे0 श्री महेश यादव	मोलमाफे, मोहरासी
9-	1/6	चौकीदार	उपेन्द्र लाल यादव पे0 स्व0 शंकर यादव	बोलटोल, बेतर, पोखर टोल
10-	1/7	चौकीदार	मोहन कुमार यादव पे0 श्री रामचन्द्र यादव	हाट सिरमी
11-	1/9	चौकीदार	राम सेवक यादव पे0 स्व0 कृष्ण यादव	मकरहुी
12-	2/1	चौकीदार	राम बाबू पासवान पे0 स्व0 हरी पासवान	मदनमापुर, पोखरोनी
13-	2/2	चौकीदार	रघुनाथ पासवान पे0 स्व0 सीबी पासवान	सिंदिया
14-	2/3	चौकीदार	राम कुमार पासवान पे0 स्व0 रघुनन्दन पासवान	मलरपार, मचवा
15-	2/4	चौकीदार	राम बाबू पासवान पे0 श्री मुरेतर पासवान	मतोहर, मचवा
16-	2/5	चौकीदार	लाल बाबू पासवान पे0 श्री अमु पासवान	हाट बटरा
17-	2/6	चौकीदार	परीक्षण मंडल पे0 स्व0 राम किशुन मंडल	बटहरवा
18-	2/7	चौकीदार	राम प्रसाद यादव पे0 स्व0 राम सेवक यादव	सिंघारमी
19-	2/8	चौकीदार	महेन्द्र मंडल पे0 स्व0 गंगा मंडल	कुआ
20-	3	चौकीदार	नारेन्द्र पंडित पे0 श्री विशुनदेव पंडित	।।।
21-	3/1	चौकीदार	राम नन्दन पासवान पे0 श्री राम स्वरूप पासवान	हिरोपट्टी
22-	3/2	चौकीदार	राम विलास पासवान पे0 स्व0 सुखन पासवान	जानीपुर
23-	3/3	चौकीदार	रामाशिष पासवान पे0 स्व0 दुखहरण पासवान	बलहा, बैगरा
24-	3/4	चौकीदार	रामाशिष यादव पे0 स्व0 कंचन यादव	मडुवा
25-	3/5	चौकीदार	राम सोगारथ पासवान पे0 स्व0 रामरूप पासवान	बहुटा
26-	3/6	चौकीदार	बलिराम पासवान पे0 स्व0 सेतर पासवान	दुधैल नवटोली
27-	3/7	चौकीदार	दुखहरण मंडल पे0 स्व0 सुखन मंडल	रघोली
28-	3/8	चौकीदार	राम नरेश पासवान पे0 श्री गौर पासवान	लालपुर उसौध
29-	3/9	चौकीदार	रंजीत पासवान पे0 स्व0 धनेश्वर पासवान	महोल
30-	5/2	चौकीदार	राम बहादुर यादव पे0 स्व0 अशर्फी यादव	भगौती
31-	5 /3	चौकीदार	कालो सदाय पे0 स्व0 मरती सदाय	गढ़िया, बोनाही, रजवान
32-	5/5	चौकीदार	मो0 फिरोज नदाफ पे0 मो0 हनीफ	पुआरी
33-	5/1	चौकीदार	पच्चु पासवान पे0 श्री सीताराम पासवान	धपड़िया, काजीटोल, कमलावारी
34-	6/1	चौकीदार	पलट पासवान पे0 स्व0 राम शरण पासवान	सिमरी दरिभी
35-	6/2	चौकीदार	शिव लखन पासवान पे0 स्व0 राम खेलावन पासवान	सिमरी, दुधियाही, मधुलिया

लगातार... 18/-

36-	6/3	चौकीदार	शिवशंकर पासवान पे० स्व० राम भजन पासवान	अमैपुर, परसा
37-	6/4	चौकीदार	राम पासवान पे० स्व० किशोर पासवान	अमैपुर
38-	6/5	चौकीदार	साधु शरण पासवान पे० श्री बद्री पासवान	भोजांडीह, ममता, छतना
39-	6/6	चौकीदार	सुरेन्द्र महतो पे० स्व० मथुरा महतो	हनुमाननगर, नरही टोल
40-	6/7	चौकीदार	जगदीश पासवान पे० स्व० सुखदेव पासवान	भोजांडीह, सिमरई

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दफादार के 01 एवं चौकीदार के 04 पद रिक्त है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि दफादार एवं चौकीदार के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ।

41- चौकीदार डिसपोजिशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 8 कॉलम भरा हुआ पाया गया । इसे शीघ्र अद्यतन कर लें ।

42- मालखाना पंजी :-

मालखाना पंजी संधारित है । इस पंजी के अवलोकन से पाया गया कि इसका संधारण सही ढंग से किया जा रहा है । बताया गया कि पिछली बाढ़ में मालखाना भवन ढँस गया था जिसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है । मालखाने में जब्त की गयी पान पत्ती रखी गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चूँकि यह जल्द खराब होनेवाली सामग्री है, अतः मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी से आदेश प्राप्त कर एक माह के अन्दर नीलामी कर प्राप्त राशि को उचित शीर्ष में जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अन्य सामग्री, जो काफी दिनों से प्रदर्श के रूप में जब्तकर रखी गयी है, केस की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्तकर, निष्पादन की कार्रवाई करते हुए एक माह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

43- मालखाना रिसिट भाउचर पंजी :-

सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जब्त प्रदर्श मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति मालखाना रिसिट भाउचर पंजी में पेस्ट कर रखा जाता है ।

लगातार...19/-

44- अनुक्रमणी पंजी :-

थाना में कितने तरह की पंजी संधारित है, कितनी पंजियाँ हैं एवं कितनी संचिकाएँ खोली गई हैं, इस संबंध में कोई विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है इस हेतु अनुक्रमणी पंजी संधारित करें ताकि एकनजर में पता चल सके कि कुल कितने विषयों पर कितनी पंजियाँ खोली गई हैं, कितनी संचिकाएँ खोली गई हैं । इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, [illegible] से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ।

45- गुण्डा पंजी :-

गुण्डा पंजी संधारित है परन्तु अद्यतन नहीं है । इस पंजी को एक सप्ताह के अन्दर इसे अद्यतन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

46- अपराध आँकड़ा :-

विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	दहेज संबंधी हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1998	1(1)	4(4)	2(2)	1	1(1)	1	19(13)
1999	-	3(3)	-	-	-	1(1)	12(12)
2000	-	3(2)	2(2)	1(1)	-	5(1)	16(11)
2001	-	-	-	1(1)	3(2)	4(1)	6(6)
2002	1	-	-	1	-	2	7(4)
2003	-	-	-	-	-	1	2

47- पत्राचार :-

पत्राचार हेतु विहित प्रपत्र में प्राप्त एवं निर्गत पंजी संधारित है । पत्राचार की स्थिति संतोषप्रद है ।

लगातार...20/-

48- कम्प्लेन्टबुक नोट बुक :-

इस थाना में कम्प्लेन्टबुक नोट बुक संधारित है एवं सही प्रकार से प्रविष्टियाँ की जा रही है।

49- प्राथमिकी पंजी :-

प्राथमिकी पंजी विधिवत पूर्ण में संधारित है। प्राथमिकी पंजी के मु0 नं0 180/3 के प्रति 0903700 से 0903750 तक का अवलोकन किया। इस वर्ष कुल 138 प्राथमिकी दर्ज की गई है जिनमें से 83 विभागी धारा, 50 दर्सीफर ओ0 पी0 एवं 05 अभि0 ओ0 पी0 से संबंधित है। विगत पूछताछ में प्रत्येक ग्रामपंचायत को आयोजित जनता दरबार में लोगों द्वारा अक्सर शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है। जब आम आदमी थाना प्रभारी के पास न्याय के लिए आते हैं, अगर उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जाती है, तो उनका विश्वास प्रशासन से उठ जाता है। वे हताश हो जाते हैं और तब उन्हें उग्रवादियों/अपराधियों अथवा न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाय तथा वे थाना की शरण में आवे तो उनकी समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुने तथा निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।

50- अप्राथमिकी पंजी :-

अप्राथमिकी पंजी संधारित है। विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	107/116(1)	116(111)	144	133	182/211	109/110	188	कुल
1998	67	-	13	-	4	-	-	84
1999	68	-	8	5	3	-	-	84
2000	44	3	10	-	5	-	-	62
2001	91	6	14	-	-	-	-	111
2002	52	5	16	-	3	-	-	76
2003	44	2	7	-	2	-	-	55

लगातार...21/-

Scanned with OKEN Scanner

51- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

सिरमी थाना में लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या / दिनांक		धारा	अनुसंधानकर्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	36/02	19-04-2002	302 भा०द०वि०	अ०नि०ज्ञा०प्र०सिंह	अनुसंधानरत नहीं
2-	45/02	28-05-2002	323/376/511 भा०द०वि०	अ०नि० राजेन्द्र सिंह	गिरफ्तारी हेतु
3-	89/02	03-09-2002	347/323/406/427/347/504/34 भादवि	स०अ०नि०श्री०एम०एच०खाँ	गिरफ्तारी हेतु
4-	100/02	23-09-2002	406/420/34 भा०द०वि०	अ०नि० इ०ट० के० सिंह	अनुसंधान हेतु
5-	112/02	11-11-2002	147/148/149/341/323/324/307/ 337/379/भा०द०वि०	अ०नि० इ०ट० के० सिंह	अनुसंधान हेतु
6-	120/02	22-11-2002	379/376/498[ए]/34 भा०द०वि०	स०अ०नि० आर०डी०चौधरी	गिरफ्तारी हेतु
7-	05/03	12-01-2003	414 भा०द०वि०	अ०नि० आर०बी०सिंह	अनुसंधान हेतु
8-	04/03	12-01-2003	7 आ० व० अधिनियम	अ० नि० इ०ट० सिंह	आदेश हेतु
9-	61/03	21-05-2003	379 भा० द० वि०	स०अ०नि० मो० हसैन	अनुसंधान हेतु
10-	63/03	23-05-2003	147/148/149/342/323/302/भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट/3/4 वि०प०अधि०	अ० नि० इ०ट० के० सिंह	अनुसंधान हेतु
11-	65/03	29-05-2003	366/34 भा० द० वि०	स०अ०नि० मो० हसैन	अनुसंधान हेतु
12-	16/03	11-02-2003	447/427/34 भा०द०वि०	स०अ०नि०श्री०एम०खाँ	आदेश हेतु

52- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की सूची :-

1-	132/97	17-10-1997	448/342/370/34 भा०द०वि०	अ०नि० इ०ट० के० सिंह	आदेश हेतु
2-	117/02	12-11-2002	147/148/323/324/379/504/34 भादवि	स०अ०नि० मो० हसैन	अनुसंधान हेतु
3-	27/03	22-03-2003	341/323/324/379/504/34 भा०द०वि०	स०अ०नि० मो० हसैन	अनुसंधान हेतु
4-	30/03	26-03-2003	147/447/341/323/324/307/379/504	स०अ०नि०आर०डी०चौधरी	अनुसंधान हेतु
5-	35/03	11-04-2003	341/342/323/504/506/34 भा०द०वि०	अ० नि० इ०ट० सिंह	अनुसंधान हेतु
6-	62/03	22-05-2003	448/341/323/427/504/34 भा०द०वि०	स०अ०नि०श्री०एम०एच०खाँ	अनुसंधान हेतु

लगातार...22/-

7-	56/03	15-05-2003	341/323/324/307/337/447/379/504 भा0द0वि	उ0नि0श्री0के0सिंह	अनुसंधान हेतु
8-	58/03	16-05-2003	147/342/323/324/307/427/379/504 भा0द0वि0	उ0नि0श्री0के0सिंह	अनुसंधान हेतु
9-	54/03	15-05-2003	341/323/324/427/379/504/34 भा0द0वि0	स0उ0नि0श्री0 अनिल	अनुसंधान हेतु
10-	67/03	30-05-2003	448/379/504/34 भा0द0वि0	स0उ0नि0 श्री0अनिल	अनुसंधान हेतु

53- चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन :-

चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए अलग से पंजी संधारित नहीं की गई है । चरित्र सत्यापन से संबंधित बहुत से मामले थाना स्तर पर लंबित रहने की शिकायतें मिल रही हैं । इनमें से अधिकांश मामले सरकारी नौकरी में योगदान से संबंधित रहते हैं और यदि समय पर सत्यापित कर नहीं भेजे जाने से संबंधित व्यक्ति को नौकरी से वंचित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस हेतु अलग से पंजी खोलें एवं चरित्र सत्यापन से संबंधित मामला को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित कर संबंधित विभाग को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें ।

54- कोट परेड का निरीक्षण :-

कोट परेड का निरीक्षण किया गया । सभी आरक्षियों का आउट-टर्न अच्छा रहा । वर्दी एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति की गई है ।

55- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठनाई होती है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित मामलों का अनुसंधान कार्य को त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

लगातार...23/-

Scanned with OKEN Scanner

(ढ) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में यह शिकायत मिलती है कि अनुसंधानकर्ताओं की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दें । गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन थाना को भेजे जाते हैं, उनका तामिला निश्चित रूप से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराना सुनिश्चित करें ।

(ण) नीलाम पत्र वादों में प्राप्त डी०एस०डब्लू०/बी०एस०डब्लू० का समुचित से-कार्यान्वयन सुनिश्चित करें । ईंट-भट्ठा मालिक, जिसने रायल्टी जमा नहीं किया है, से रायल्टी जमा करावें । थाना क्षेत्र में किये गये सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें ।

56- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर थाना का कार्य-कलाप पूर्णतः संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी हाल ही में स्थानान्तरित होकर योगदान दिये हैं, अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि विशेषकर उन पंजियों के अद्यतन करने पर समुचित ध्यान दें, जिस पर निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये गये हैं । सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलायें । ऐसा करने से न केवल उनका मनोबल गिरेगा बल्कि विधि-व्यवस्था के संधारण में अपेक्षित सफलता मिलेगी । निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों/अनुदेशों का यदि अक्षरशः अनुपालन कर दिया जाता है तो थाना के कार्य-कलाप में गुणात्मक सुधार आ जायगा । थाना प्रभारी का कार्य-कलाप पूर्णतः संतोषप्रद पाया गया । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि थाना प्रभारी, बिस्फी को उचित पुरस्कार राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे ।

ह0/- डा0 बी0 राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 1004 /सामान्य मधुबनी, दिनांक 31 जुलाई, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक का0प्रेषि
प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, बिस्फी/आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - थाना प्रभारी, बिस्फी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

MRajendra 31-7-2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

Scanned with OKEN Scanner